भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

**आतारांकित प्रश्‍न सं.2806**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

**ई-वे बिल पर स्पष्टीकरण**

**2806. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः**

**श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को निर्यातकों के एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें शुष्क पत्तन से बंदरगाह तक और विशेष आर्थिक जोन की सीमा के अंदर माल के संचालन के संबंध में ई-वे बिल के कार्यकरण पर स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले पर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क) तथा (ख) : जी, हां। निर्यातकों के समूहों और कारपोरेट बॉडीज से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने वस्तुओं के आवागमन से संबंधित ई-वे बिल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। ई-वे बिल के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं:

1. एक एयर पोर्ट से दूसरे एयर पोर्ट तक कस्टम युक्त परिवहन के दौरान निर्यात खेपों को छूट।
2. एसईजेड / एफटीडब्ल्यूजेड (फ्री-ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन) से पोर्ट तक और विलोमत: परिवहन।
3. आयात कार्गो के समान ही निर्यात कार्गो का परिवहन।

(ग) से (ड.) तक : जी, हां। अधिसूचना सं. 12/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 07.03.2018 के द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (सीजीएसटी रूल्स) में संशोधन करके इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया गया है। जीएसटी रूल्स के नियम 138 के उप-नियम (14) के उप-वाक्य (ग) और (ज) के अनुसार उस समय ई-वे बिल को तैयार करने की जरूरत नहीं है जब माल का परिवहन निम्न प्रकार से हो रहा हो :

1. किसी कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो काम्प्लेक्स और लैण्ड कस्टम स्टेशन से किसी इनलैण्ड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्राइट स्टेशन तक कस्टम्स क्लियरेंस के लिए।
2. किसी कस्टम्स बॉण्ड के अंतर्गत किसी इनलैण्ड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्राइट स्टेशन से किसी कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैण्ड कस्टम स्टेशन तक या एक कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट तक।
3. कस्टम की निगरानी के अंतर्गत या कस्टम सील के अंतर्गत।

\*\*\*\*